माध्यमिक परीक्षा, 2018 हेतु आवेदन प्रपत्र भरने के संबंध में आवश्यक निर्देश

(1) राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय, सरकार द्वारा स्थापित 1981–82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1984–85 के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, सरकार द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, मॉडल विद्यालय, प्रस्वीकृत/स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय के नियमित छात्राओं का मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प सं0– 240 दिनांक 13.02.2012 के आलोक में परीक्षा शुल्क ` 125.00 (एक सौ पच्चीस रुपये) देय नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आनेवाले परीक्षार्थियों (केवल नियमित) को परीक्षा शुल्क ` 125.00 देय नहीं होगा। उक्त छात्र/छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति परिषद् के निदेषानुसार जिला षिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

(3) **बिना पंजीयन तथा <u>01.03.2004</u> के बाद की जन्मतिथि** वाले छात्रों के आवेदन पत्र यदि भरा जाता है तो उसे रद्द कर दिया जायेगा। वर्ष 2014 के पूर्व के पंजीकृत छात्र/छात्रा, जिनके तीन वर्ष की सूचीकरण अवधि समाप्त हो गयी है, को पुनर्पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। परीक्षा शुल्क सामान्य छात्र/छात्रा के अनुसार ही देय होगा तथा पंजीयन आवेदन प्रपत्र के साथ पूर्व में निर्गत सूचीकरण संख्या भरना आवष्यक होगा अन्यथा इसे रद्द कर दिया जायेगा।

समुन्नत परीक्षा के संबंध में विनियम (Regulation) निम्न प्रकार है जिसके अनुसार हीं परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

<u>**Improvement of Performance**</u>

i) A candidate who has passed an examination of the Council may **re-appear for improvement of performance in one or more subjects in the main examination in the succeeding year only**. He will appear as a private candidate with his original registration number of the Council.
ii) Those re-appearing for the whole examination may, however, appear as regular candidates also, if admitted by the School/+2/Intermediate College as regular student.
iii) A candidate appearing for improvement in subject(s) involving practical shall appear only in theory and previous practical marks shall be carried forward and accounted for.
iv) A candidate appearing for improvement of performance shall be issued only Statement of marks reflecting the marks obtained at the improvement examination in the subject(s).

<u>N.B.</u> : Improvement examination can not be given for any subject in which the candidate had failed.

(4) पूर्ववर्त्ती छात्र/छात्राओं का पंजीयन विद्यालय प्रधान द्वारा जाँच कर लिया जाय कि पंजीयन सही है। पंजीयन जाली पाए जाने पर छात्र एवं विद्यालय प्रधान दोनों पर अनुषासनिक कारवाई की जाएगी।